संख्या– 663 III(2)/05–29(बजट)/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 25 मई, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 मे निर्माणाधीन मार्ग के कार्यो हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव ,वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या– 527A/ XXVII (1)/वित्त अनुभाग–1/2005, दिनांक 26 अप्रैल,2005 के अनुपालन में एवं आपके पत्र संख्या–101/01 बजट (मार्ग कार्य–रा.से.)–1/2005–06 दिनांक 6.4.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन मार्ग (राज्य सेक्टर) के कार्यो हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2450000 हजार (रू0 दो अरब पैतालीस करोड मात्र) की धनराशि में से नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यो से भिन्न निर्माणाधीन मार्गों के कार्यो हेतु रू0 1350000 हजार (रू0 एक अरब पैतीस करोड मात्र) एवं नाबार्ड द्वारा आर0आई0डी0एफ0 8, 9 व 10 योजना के अर्न्तगत स्वीकृत मार्गों के चालू कार्यो हेतु रू0 700000 हजार (रू0 सत्तर करोड मात्र) इस प्रकार कुल रू0 2050000 हजार (रू0 दो अरब पाँच करोड मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का सी.सी. एल. के आधार पर कोषागार से साख सीमा हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/खण्डवार आबंटन ऐसी चालू योजनाओ पर शासन की सहमति के प्रथमतः किया जायेगा, जिसमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही है, उन खण्डो मे 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेगे, कार्यवार/खण्डवार आबंटन कर संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा। नाबार्ड द्वारा आर0आई0डी0एफ0 8 व 9 के अर्न्तगत स्वीकृत अवशेष कार्यो को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना होगा।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये, कार्य पर व्यय लो0नि0वि0 के मानक विषयक शासनादेश के अनुरूप ही कराया जायेगा, उका धनराशि के आहरण के पूर्व विगत वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय । कार्य करते समय टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

5– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

NIC
160

6– स्वीकृति के एक माह के अन्दर अब तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । वर्ष 2005–06 में स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यों का विवरण व भौतिक प्रगति मार्च, 2006 के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

8– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक– 5054 सडको एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सडकें–आयोजनागत–800 –अन्य व्यय –03–राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9 – यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 193/वित्त अनुभाग–3/05,दिनांक 13 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 663 (1)/III(2)/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल, इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त कुमांयू मंडल, पौडी/नैनीताल ।
3– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून ।
6– मुख्य अभियन्ता ,गढवाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
7– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन।
9– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।